भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 6244

उत्तर देने की तारीख : 02.04.2026

एमएसएमई निर्यात और प्रौद्योगिकी उन्नयन

6244. श्रीमती कमलजीत सहरावत :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :
सुश्री कंगना रनौत :
श्री खगेन मुर्मु :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री शशांक मणि :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के निर्यात में विशेषकर वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एमएसएमई की बढ़ती सहभागिता को देखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के योगदान की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई की भागीदारी कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, डिजिटल अंगीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन सहायता को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत के कुल माल निर्यात में एमएसएमई विशिष्ट उत्पादों के निर्यात का हिस्सा निम्नानुसार है:

वर्ष	भारत के कुल माल निर्यात में एमएसएमई संबंधी उत्पादों के निर्यात का % हिस्सा
2022-23	43.59%
2023-24	45.74%
2024-25	48.55%

सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

i. प्रौद्योगिकी केंद्र देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। देश में मौजूदा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करने और इनकी पहुंच बढ़ाने के लिए, सरकार 20 प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) और 100 विस्तार केंद्रों (ईसी) की स्थापना के लिए "नए प्रौद्योगिकी केंद्रों / विस्तार केंद्रों की स्थापना" नामक एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है

ii. एमएसएमई के बीच परस्पर स्तर पर डिजिटल अपनाने की सीमा के संबंध में सरकार आवधिक तौर पर आकलन करती है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल अकाउंटिंग, आपूर्ति श्रृंखला डिजिटलीकरण और इसके साथ-साथ स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन के माध्यम से व्यापार समर्थन और विपणन (टीम) योजना के द्वारा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसे प्लेटफार्मों में भागीदारी जैसे पहलू शामिल हैं।

iii. एमएसएमई द्वारा तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देने और उन्नत, हरित और कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सरकार लक्षित योजनाओं को लागू कर रही है। सूक्ष्म और लघु उद्यम - परिवर्तन के लिए हरित निवेश और वित्तपोषण (एमएसई-गिफ्ट) योजना के तहत, नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों सहित स्वच्छ और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए 2% ब्याज छूट के माध्यम से रियायती संस्थागत वित्त प्रदान किया जाता है।

iv. सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी के व्यापक युक्तिकरण से एमएसएमई प्रत्यक्ष रूप से सुदृढ़ हुए हैं, जिससे ऑटोमोबाइल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और हस्तशिल्प जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हुई है। जीएसटी की कम दरों के कारण कच्चा माल और सेवाएं ज्यादा वहनीय हो सकी हैं, जिससे लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को अपने कार्यकलापों को आगे बढ़ाने, नवोन्मेष संबंधी कार्यों में निवेश करने तथा घरेलू और वैश्विक दोनों क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

v. निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को भी अनुमोदित किया गया है, जिसके तहत सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) को एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त कोलेटरल मुक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। इस स्कीम से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए और उभरते बाजारों के विविधीकरण में सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है।

vi. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलनों/ सेमिनारों/विदेश में क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना और निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति करके एमएसएमई का क्षमता निर्माण करना है।

vii. निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए निर्यात प्रोत्साहन के लिए 25,060 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक समग्र, लचीला और डिजिटल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ईपीएम एक रणनीतिक बदलाव को चिन्हित करता है जो कई अलग-अलग स्कीमों से एक एकल स्कीम, परिणाम-आधारित और अनुकूल तंत्र की ओर दिशा परिवर्तन को दर्शाता है जो विश्व स्तर पर व्यापार संबंधी चुनौतियों और निर्यातक के समक्ष उभरकर आने वाली आवश्यकताओं के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है।

निर्यात संवर्धन मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा:

- निर्यात प्रोत्साहन - यह ब्याज सब्वेंशन, निर्यात फैक्टरिंग, कोलेटरल गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए क्रेडिट वृद्धि संबंधी सहायता जैसे कई उपायों के माध्यम से एमएसएमई के लिए रियायती व्यापार निधियन तक पहुंच में सुधार पर फोकस करता है।
- निर्यात दिशा:-यह ऐसे गैर-वित्तीय सहायता प्रदाताओं पर फोकस करता है जो बाजार की तत्परता (रेडिनेस) और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति और व्यापार सूचना और क्षमता-निर्माण संबंधी पहलें शामिल हैं।
